

राजस्थान सरकार
गृह(गुप-10) विभाग

क्रमांक:पं.3(1)/गृह-10/2022/

जयपुर,दिनांक:09/10/2024

आज्ञा

राजस्थान अभियोजन सेवा नियम 1978 के नियम-9 के उप नियम 8 के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी के पद पर वर्ष 2020-21 से 2023-24 की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं का पुनर्विलोकन (Review) करने हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर वर्ष 2020-21 से 2023-24 में पूर्व चयनित अधिकारियों का चयन वर्ष एवं रिक्ति संशोधित होने के फलस्वरूप निम्न अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित वर्ष में उपलब्ध रिक्ति की दिनांक के विरुद्ध अभियोजन अधिकारी के पद पर Pay Matrix L-12 in Revised Pay Rules 2017 में पदोन्नत किया जाता है।


वर्ष 2020-21

क्र. सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति की दिनांक	वि.वि.
01	श्री खुशाल दैया पुत्र श्री गोपाल दास	सामान्य	2020-21	01.04.2020	
02	श्री पंकज कुमार मीना पुत्र श्री रामफूल मीना	एस.टी.	2020-21	14.05.2020	
03	श्री चरन सिंह सोलंकी पुत्र श्री मंगती राम	सामान्य	2020-21	14.05.2020	
04	श्रीमती अंजू खिडिया पत्नी श्री अखिलेश सिंह चारण	सामान्य	2020-21	14.05.2020	
05	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह	सामान्य	2020-21	14.05.2020	
06	श्री भरत अजमेरा पुत्र श्री नारायण लाल	सामान्य	2020-21	14.05.2020	नव चयनित
07	श्री दिनेश कुमार मीना पुत्र श्री नादान राम मीना	एस.टी.	2020-21	14.05.2020	
08	श्री गजराज सिंह मीणा पुत्र श्री रामकिशन मीणा	एस.टी.	2020-21	01.08.2020	

01. उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी के पद पर पूर्व पदोन्नत अधिकारियों के चयन व रिक्ति की दिनांक की अनुशंसाओं को यथावत रखा जाता है।

वर्ष 2021-22

01. श्री भरत अजमेरा का चयन वर्ष 2020-21 में किये जाने के कारण श्री अजमेरा का चयन वर्ष 2021-22 में निरस्त किया जाता है एवं प्रभावित पूर्व चयनित अधिकारियों की रिक्तियां का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।


09/10/24

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया।
1.	श्रीमति कमलेश चौधरी पुत्री श्री भेरुराम	सामान्य	01.04.2021
2.	श्री रविकिशोर जोनवाल पुत्र श्री हरिविलास जोनवाल	एस.सी.	05.04.2021
3.	श्रीमती उमा सालवी पत्नी श्री योगेन्द्र सालवी	एस.सी	01.05.2021
4.	कु. रेखा खीची पुत्री आर.के.खीची	एस.सी	10.05.2021
5.	श्री ललित किशोर खीचा पुत्र श्री दुर्गाप्रसाद खीचा	एस.सी	01.06.2021
6.	श्री महेश चन्द रोट पुत्र श्री भोगीराम रोट	एस. टी.	01.07.2021

02. उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व पदोन्नत अधिकारियों के चयन व रिक्ति की दिनांक को यथावत रखा जाता है।

वर्ष 2023-24

क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति की दिनांक	वि.वि.
1.	श्री पर्वत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री बाघसिंह	अनारक्षित	2023-24	01.03.2024	नव चयनित

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व चयनित अधिकारियों की रिक्तियों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है।


क्र.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति की दिनांक जिसके विरुद्ध चयन किया गया।
01	श्री सिद्धार्थ सिंह हापावत पुत्र श्री एस.के. हापावत	अनारक्षित	01.04.2023
02	श्री गगनदीप ग्रोवर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार ग्रोवर,	अनारक्षित	01.05.2023
03	श्री रवि घिंटाला पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह	अनारक्षित	01.07.2023
04	श्री आनन्द व्यास पुत्र श्री भेंवर लाल व्यास	अनारक्षित	01.08.2023
05	श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्र शेखर	अनारक्षित	01.10.2023
06	श्री राकेश शर्मा पुत्र श्री मातादीन शर्मा	अनारक्षित	01.11.2023
07	श्री विक्रम सिंह चौहान पुत्र श्री हमीर सिंह चौहान,	विकलांग	01.12.2023
08	श्री कानाराम मीणा पुत्र स्व.श्री सीताराम मीणा	एस टी (अनारक्षित पद के विरुद्ध चयनित)	01.01.2024

Handwritten signature and date
09/10/24

उपरोक्त के अतिरिक्त अभियोजन अधिकारी के पद पर उपरोक्त तालिका में अंकित अधिकारियों के अतिरिक्त पूर्व चयन सूची में अन्य पदोन्नत अधिकारियों के चयन व रिक्ति की दिनांक को यथावत रखा जाता है।


उपरोक्त चयनित अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति की तिथि से पदोन्नति के पात्र हैं किन्तु पदोन्नति का वास्तविक लाभ पदस्थापन आदेश जारी होने के पश्चात् कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होंगे। पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेगे।

आज्ञा से,


(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह(विधि)
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह
5. निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर को 20 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित।
6. संबंधित अधिकारीगण।
7. समस्त संयुक्त/उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
8. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव, गृह(विधि)
राजस्थान, जयपुर